न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी–जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :–30 / 2016

वादीनीगण	बनाम	प्रतिवादीगण

वादीनीगण

1. श्रीमति रूखी पुत्री देहराज उर्फ खेराजराम पत्नी रामाराम जाति जाट निवासी रामसर का कुआ तहसील बाड़मेर हाल निवासी हाथीतला
2. श्रीमति कमला पुत्री देहराज उर्फ खेराजराम पत्नी रामाराम जाति जाट निवासी रामसर का कुआ तहसील बाड़मेर हाल निवासी होडू
3. श्रीमति गंगा पुत्री देहराज उर्फ खेराजराम पत्नी रामाराम जाति जाट निवासी रामसर का कुआ तहसील बाड़मेर हाल निवासी बायतु पनजी

प्रतिवादीगण

1. श्रीमति भूरी पत्नी देहराज उर्फ खेराजराम
2. डालूराम पुत्र देहराज उर्फ खेराजराम जाति जाट निवासी रामसर का कुआ तहसील बाड़मेर
3. श्रीमति दमी पुत्री देहराज उर्फ खेराजराम पत्नी रामाराम जाति जाट निवासी रावतसर तहसील बाड़मेर
4. दानाराम पूत्र ताजाराम के कायम मुकाम
   4/1 गेनाराम पुत्र दानाराम
   4/2 पोकरराम पुत्र दानाराम
   4/3 रेखाराम पुत्र दानाराम
   4/4 बगताराम पुत्र दानाराम
5. धन्नाराम पुत्र हीराराम
6. आईदानराम पुत्र हीराराम
7. पूरों पत्नी हीराराम जाति जाट निवासी रामसर का कुंआ
8. चिमाराम पुत्र मूलाराम के कायम मुकाम
   8/1 बगता पुत्र चिमा
   8/2 रूपा पुत्र चिमा
   8/3 रेखा पुत्र चिमा
9. मोडाराम पुत्र मूलाराम के कायम मुकाम
   9/1 खेता पुत्र [illegible]
   9/2 [illegible] पुत्र [illegible]
   9/3 श्रीमति नेनू पत्नि [illegible]
10. [illegible] पुत्र मूलाराम [illegible] कायम मुकाम
   10/1 डूंगराराम पुत्र देवाराम
   10/2 अणछी पत्नी देवाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:29:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर SDO सिणधरी

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

11. देदाराम पुत्र मूलाराम के कायम मुकाम
11/1 वीरमाराम पुत्र देदाराम
11/2 लिखमाराम पुत्र देदाराम
12. लालाराम पुत्र चोलाराम जाति जाट निवासी नेहरू नगर बाड़मेर
13. तहसीलदार एवं उपपंजीयक बायतु
14. शाखा प्रबन्धक जयपुर थार ग्रामीण बैंक चवा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः— 1. श्री रिणछाराम सियाग वकील वादीनीगण।
2. श्री रामजीवन विश्नोई वकील प्रतिवादी सं. 1,4,8,9
3. श्री डालूराम चौधरी वकील प्रतिवादी सं. 12
4. पैरोकार सरकार उप.।
4. शेष प्रतिवादी एकतरफा।

निर्णय

दिनांक— 23.10.2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम नया खरंटिया तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 93,97,118,167,173/120 व 90 कुल रकबा 206.03 बीघा भूमि वक्त बन्दोबस्त 1/2 हिस्सा मूला वल्द नाथा 1/2 हिस्सा दाना वल्द ताजा एवं वादिनीगण के पिता देहराज के नाम संयुक्त रूप से दर्ज हुई। देहराज उर्फ खेराज जिसका वादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्सा था, के वारिसान में –पुत्रियां– वादिनीगण व प्रतिवादिनी सं. 3 – पत्नी प्रतिवादिनी सं. 1 एवं पुत्र – प्रतिवादी सं. 2– है। इस प्रकार देहराज उर्फ खेराज के छहों वारिसान का वादग्रस्त भूमि में 1/24–1/24 हिस्सा है और इसी अनुसार प्रत्येक का कब्जा काश्त है, किंतु देहराज के फौत होने पर हल्का पटवारी सणा [illegible]रा नामान्तकरण उसके छहों वारिसान के नाम दायर करने के [illegible] प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम दायर कर दिया, जो पारित होने से देहराज के [illegible] हिस्से में प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हो गया और [illegible]दिनीगण व प्रतिवादी सं. 3 बावजूद हक के खातेदारी से वंचित रह गयी। प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने 1/4 हिस्से में केवल अपने नाम का अंकन होने का फायदा उठाकर समग्र 1/4 हिस्से की भूमि का जरिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:29:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

रजिस्ट्री प्रतिवादी सं. 12 को बेचान कर दिया। जबकि प्रतिवादी सं. 1 व 2 को मात्र 1/12 हिस्से का बेचान करने का अधिकार था। अतः वादिनीगण ने स्वयं को प्रतिवादी सं. 12 के साथ 1/4 हिस्से में सहखातेदार घोषित करवाते हुए 1/12 हिस्सा प्रतिवादी सं. 12 की, 1/24—1/24 हिस्सा वादिनीगण व प्रतिवादिनी सं. 3 प्रत्येक की खातेदारी में घोषित करवाने तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा अपने वास्तविक 1/12 हिस्से से अधिक प्रतिवादी सं. 12 को किया गया बैचान शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित करवाने तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध अपने हिस्से की भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किये जाने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 1 से 4, 8 व 9 ने इकबाली जवाब प्रस्तुत कर माफिक इस्तदुआ वाद डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रतिवादी सं. 12 ने अपने जवाब में वाद के तथ्यों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि वादिनी का वाद उतराधिकार की घोषणा का है जिसका क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय में निहित होने से यह वाद इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। वादग्रस्त भूमि न तो पैतृक है और न इस पर वादिनीगण का कब्जा ही रहा है। वादग्रस्त भूमि के खातेदार प्रतिवादी सं. 1 व 2 को विधिसम्म्त रूप से प्रतिफल की राशि अदा कर प्रतिवादी सं. 12 ने क्रय की है। वादिनीगण ने यह वाद नामान्तकरण पारित होने के बाद और प्रतिवादिनी सं. 12 द्वारा क्रय किये जाने के बाद प्रस्तुत किया है। यदि उनका वास्तव में उक्त भूमि पर हक होता, तो वे देहराज की फौतेदगी पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम ना0क0 पारित होते ही सक्षम न्यायालय में चाराजोही करती। वादिनीगण ने न तो खेराजराम की वारिस होने के संबंध में और न वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त भूमि पर वादिनीगण की जानकारी में करीब 13 वर्षो से अधिक समय से प्रतिवादी सं. 12 का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त कब्जे के आधार पर धारा 63(1)(4) रा.का. अधि. सपठित धारा 27 परिसीमा अधिनियम के तहत वादिनीगण के अधिकार समाप्त होकर प्रतिवादी सं. 12 में निहित हो गये है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में कभी भी कब्जा नहीं होने और धारा 183 रा.का. अधि. के [illegible] कब्जा प्राप्ति की इस्तदुआ नहीं मांगे जाने से भी यह वाद चलने योग्य नहीं है। [illegible] दस्तावेज से प्रतिवादी से. 12 वादग्रस्त भूमि का खातेदार बना है, उसे [illegible] बिना सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाये तथा ग्राम बेरीवाला तला के ना0क0सं. 223, जिसके आधार पर ना.क. सं. 97 खोला गया है, को बिना चुनौती दिये वदिनीगण का वाद चलने योग्य नहीं है। अतः वादिनीगण का वाद मय खर्चा खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:29:55 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर

वादिनीगण के वाद एवं प्रतिवादी सं. 12 के जवाब के आधार पर निम्नानुसार तनकियात कायम की गईः—

1. आया कि वादग्रस्त भूमि मौजा नया खरटिया पटवार क्षेत्र सणपामानजी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 93 रकबा 31.07 बीघा, खसरा संख्या 97 रकबा 55.07 बीघा, खसरा संख्या 118 रकबा 44.02 बीघा खसरा संख्या 167 रकबा 06.10 बीघा, खसरा संख्या 173/120 रकबा 09.08 बीघा, खसरा संख्या 90 रकबा 59.09 बीघा कुल रकबा 206.03 बीघा में प्रत्येक वादिनीगण 1/24–1/24 हिस्सा घोषित करवाने की हकदार है। **जिम्मे—वादी**
2. आया कि वादग्रस्त भूमि में वादी अपने पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने की हकदार है। **जिम्मे— वादी**
3. आया कि वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी सं. 01 व 02 को वारिस मानकर म्युटेशन पारित किया गया हो से वादिनी अपने को सक्षम सिविल न्यायालय से मृतक खेराजराम की वारिस घोषित करवाये बिना यह वाद चलने योग्य नहीं है। **जिम्मे—प्रतिवादी सं. 12**
4. अन्य कोई अनुतोष जो देय हो।

वदिनीगण की ओर से साक्ष्य में रूखीदेवी PW-01, कमला PW-02, गंगा PW-03, नानगाराम PW-04, खेमाराम PW-05, द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में खेराज उर्फ देहराज के फौत होने पर दायर ना.क.सं. 98 मौजा नया खरटिया EXP-01, वादग्रस्त भूमि की खतौनी बन्दोबस्त EXP-02, वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी संवत् 2068–71 EXP-03 एवं डालूराम व भूरीदेवी द्वारा लालाराम के पक्ष में निष्पादित रजिस्ट्रर्ड बेचानपत्र EXP-04 प्रस्तुत किये गये।

दौराने बहस वकील वादिनीगण ने निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के 1/4 हिस्से के खातेदार देहराजराम उर्फ खैराजराम के वारिस पुत्रिया— वादिनीगण व प्रतिवदिनी सं. 3, एक पत्नी प्रतिवादिनी सं. 1 एवं एक पुत्र प्रतिवादी सं. 2 तथा है। देहराजराम जाति से जाट होने से हिन्दु विधि से शासित होता था और हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की अनुसूची 8 के अनुसार किसी मृत हिदुं निर्वसीयती के फौत होने पर उसके समस्त वारिसान— पुत्रों, पुत्रियों व पत्नी— प्रथम श्रेणी के वारिस [illegible] के रूप में बहिस्सा बराबर हक होगा और इनमें से किसी को भी [illegible] वारिस [illegible] हकों से महरूम नहीं किया जा सकता। नामान्तकरण एक सरसरी [illegible] के जरिये लगान के अदाकर्ताओं का निर्धारण होता है, न कि खातेदारी अधिकारों का। नामान्तकरण प्रकिया में हुई त्रुटि के आधार पर किसी जायज वारिस को उसके खातेदारी अधिकारों से महरूम नहीं किया जा सकता। इस प्रकार प्रत्येक वादिनी व प्रतिवादी सं. 1 से 3 प्रत्येक का वादग्रस्त भूमि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:29:55 IST
Reason: SelfAttested

24 1/24 हिस्सा है। इस प्रकार प्रतिवादी सं. 1 व 2 को 1/12 हिस्से की भूमि का बेचान करने का अधिकार था. इससे अधिक भूमि का प्रतिवादी सं. 12 के पक्ष में किया गया बेचान विधिक रूप से शून्य एवं निष्प्रभावी है और ऐसे शून्य बेचानों को चुनौती देने के लिए कोई म्याद नहीं होती है। अतः वादिनीगण वादग्रस्त भूमि में स्वयं को प्रतिवादी सं. 12 के साथ सहखातेदार घोषित करवाते हुए 1/24 1/24 हिस्सा अपनी एवं प्रतिवादिनी सं. 3 प्रत्येक की खातेदारी में घोषित करवाने की अधिकारिणी है।

हमने वकील वादिनीगण की बहस पर मनन, पत्रावली पर उपलब्ध गवाहान के शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में तनकीवार विवेचन किया।

तनकी सं. 1– वादिनीगण की वादग्रस्त भूमि में प्रत्येक का 1/24–1/24 हिस्सा घोषित करवाने की इस्तदुआ से सम्बद्ध है, जिसे सिद्ध करने का जिम्मा वादिनीगण पर है। पत्रावली के अवलोकन एवं गवाहान के शपथपत्रों से यह स्पष्ट है कि वादिनीगण एवं प्रतिवादी सं. 3 वादग्रस्त भूमि के 1/4 हिस्से के खातेदार देहराजराम उर्फ खेराजराम की जाइन्दा पुत्रियां है और प्रतिवादिनी सं. 1 उसकी पत्नी व प्रतिवादी सं. 2 उसका पुत्र है। पक्षकार जाति से जाट होने से हिन्दु विधि से शासित होते है। किसी मृत निर्वसीयती के फौत होने पर उसके वारिसाना हकों का अन्तरण उसी विधि से होगा, जिसके कि वह मृत्यु के समय अध्यधीन था। इस प्रकार देहराजराम उर्फ खेराजराम के फौत होने पर हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत उसके समस्त प्रथम सूची के वारिसान– पत्नी, पुत्र एवं उसकी चारों पुत्रियों में एक इकाई के रूप में बहिस्सा बराबर वारिसाना हक निर्धारित होगें। इस प्रकार प्रतिवादिनी सं. 1 एवं प्रतिवादी सं. 2 को वादग्रस्त भूमि के 1/24+1/24 = 1/12 हिस्से के ही अन्तरण का अधिकार था। इस सीमा से अधिक किया गया बैचान कानूनन शून्य एवं निष्प्रभावी है, जिसे शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित करने का अधिकार राजस्व न्यायालय में निहित है। जहां तक नामान्तकरण प्रकिया का प्रश्न है, इसमें हुई विधिक त्रुटि के आधार पर किसी सद्भावी काश्तकार के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। वारिसाना हकों के निर्धारण में कब्जास्थिति की भी कोई भूमिका नहीं होती है। उक्त विवेचन से यह भलीभांति स्पष्ट है कि प्रत्येक वादिनी वादग्रस्त भूमि के 1/24 हिस्से को अपनी खातेदारी में घोषित करवाने की अधिकारिणी है। लिहाजा तनकी सं. 1 वादिनीगण के हक में निर्णीत की जाती है।

तनकी सं. 2– यह तनकी वादिनीगण की वादग्रस्त भूमि के सम्बद्ध में स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने की इस्तदुआ से सम्बद्ध है। चूंकि तनकी सं. 1 में वादिनीगण प्रत्येक वादग्रस्त भूमि में अपना 1/24–1/24 हिस्सा घोषित करवाने में सफल हो चुकी है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:29:55 IST
Reason: SelfAttested

.नके वास्तविक हिस्से के सम्बन्ध में उनके पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा तनकी सं. 2 भी वादिनीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी सं. 3— यह तनकी देहराजराम उर्फ खैराजराम का वारिस प्रतिवादी सं. 1 व 2 को मानते हुए नामान्तकरण पारित होने एवं वादिनीगण द्वारा स्वयं को सिविल न्यायालय से देहराजराम की वारिस घोषित करवाये बिना यह वाद चलने योग्य नहीं होने की प्रतिवादी सं. 12 की दलील से सम्बद्व है, जिसे सिद्व करने का जिम्मा प्रतिवादी सं.12 पर है। जैसा कि तनकी सं. 1 के विवेचन में स्पष्ट किया जा चुका है कि नामान्तकरण प्रकिया लगान निर्धारण के लिए है न कि खातेदारी अधिकारों के निर्धारण के लिए है। जहां तक वारिस घोषित करवाने की दलील का प्रश्न है, वादिनीगण की इस्तदुआ खातेदारी घोषणा को लेकर है तथा वे स्वयं को देहराजराम की पुत्रियां साक्ष्यों के जरिये साबित कर चुकी है और खातेदारी घोषणा का निर्धारण राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार है और इसके लिए सिविल न्यायालय में चाराजोही करने का कोई औचित्य नहीं है। लिहाजा यह तनकी प्रतिवादी सं. 12 के विरूद्व निर्णीत की जाती है।

लिहाजा वादिनीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम नया खरंटिया तहसील सिणधरी की खसरा नम्बर 93,97,118,167,173/120 व 90 कुल रकबा 206—03 बीघा में 3/4 हिस्से के शेष खातेदारान को अप्रभावित रखते हुए प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा अपने वास्तविक 1/12 हिस्से से अधिक प्रतिवादी सं. 12 को किया गया बेचान शून्य व निष्प्रभावी घोषित किया जाता है। वादिनीगण एवं प्रतिवादिनी सं. 3 को प्रतिवादी सं. 12 के साथ 1/4 हिस्से में सहखातेदार करार देते हुए 1/12 हिस्सा प्रतिवादी सं. 12 की तथा 1/24—1/24 हिस्सा वादिनीगण एवं प्रतिवादी सं. 3 प्रत्येक की खातेदारी में घोषित किया जाता है। तहसीलदार सिणधरी को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिकी पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:29:55 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 23.10.2024 को लिखाकर खुले इजलास आम सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी